

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27/10/23

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण की ओर से श्री ~~प्रविन्द्र सिंह बोस्ला~~ एडवोकेट द्वारा पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलबाना पर जरिये नोटिस जारी हो। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 14/11/23 को पेश हो।

14/11/23

पत्रावल: पत्र ~~इस~~ वकूलाय फारकन उपायधर, पाठासान आवकारी अन्य काय में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गए आदेशानुसार दिनांक 29/10/24 को पेश हो।

सेडर

29/11/24

पत्रावल: पत्र ~~इस~~ वकूलाय फारकन उपायधर, पाठासान आवकारी अन्य काय में व्यस्त है / भ्रमण पर है। पत्रावली गए आदेशानुसार दिनांक 27/10/24 को पेश हो।

सेडर

27/11/24

पत्रावली पेश इस वकील ककी ठप. वकील ककी द्वारा मा. पत्र को डागे नहीं चलाने हेतु NOT PRESS किया गया। पत्रावली इसी स्तर पर NOT PRESS में रकारिय की जाती है। पत्रावली मम्बर से कम होकर काखिल रफतब हो।

NOT PRESS  
किया

*[Signature]*



उपखण्ड अधिकारी, बुलाना